न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 24/2021 (द0प्र0सं0 की धारा 145 के तहत)

नकुल यादव ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

कालेश्वर यादव एवं अन्य ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

18/2/25

अंचल अधिकारी सरिया के जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर भू-विवाद के कारण लोक परिशांति भंग होने की आशंका पर निम्नलिखित विवरण वाले विवादग्रस्त भूमि पर उभय पक्ष द्वारा किए जा रहे विवाद के कारण द0प्र0सं0 की धारा 145 के तहत दिनांक 11.08.2021 को कार्यवाई आरंभ किया गया :-

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा- बगड़ो, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह

(A) खाता नं0- 79, प्लॉट नं0- 772, रकबा- 11 डी0

चौहद्दी : - उ0- रामेश्वर महतो,
द0- जगदीश मोदी,
पू0- परती कदीम वो रास्ता,
प0- कल्लू सिंह

(B) खाता नं0- 79, प्लॉट नं0- 772, रकबा- 22 डी0

चौहद्दी : - उ0- तोकली देवी विशुन महतो,
द0- कुआँ वो द्रोपती देवी,
पू0- परती कदीम,
प0- कल्लू सिंह

(C) खाता नं0- 79, प्लॉट नं0- 772, रकबा- 18 डी0

चौहद्दी : - उ0- मोटा आर,
द0- तोकली देवी विशुन महतो,
पू0- कल्लु सिंह,
प0- जगदेव सिंह

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए। द0प्र0सं0 की

धारा 145 के तहत कार्यवाई जारी रहने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर खेती का कार्य किए जाने के प्रयास के कारण द0प्र0सं0 की धारा 146(i) के तहत उक्त जमीन को जब्त करते हुए थाना प्रभारी, सरिया को रिसिवर नियुक्त किया गया। प्रथम पक्ष के अनुरोध पर ध्रुव देवी को पक्षकार बनाया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि को द्वितीय पक्ष के लोग बल पूर्वक जोत कोड़ कर रहे थे अत: यह विवाद उत्पन्न हुआ। भूमि पर मालिकाना हक के प्रमाणस्वरूप प्रथम पक्ष ध्रुवपति देवी के नाम का एक केवाला की छायाप्रति, रामेश्वर यादव के नाम से दुसरे केवाला की छायाप्रति दाखिल करते हैं।

द्वितीय पक्ष एक लिखित अभिकथन दाखिल कर बतलाते है कि प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के मध्य 10 वर्ष पूर्व बंटवारा हो चुका है। प्रथम पक्ष अपने हिस्से की जमीन प्राप्त कर चुके हैं अत: विवाद का कोई कारण नहीं है। द्वितीय पक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही कराते है।

अंचल अधिकारी सरिया के प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष आपस में भाई है तथा उनके मध्य हक-हिस्से को लेकर विवाद है।

वर्त्तमान वाद के अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अपर्याप्त है। यह भी स्पष्ट नही है कि उभय पक्ष मौखिक साक्ष्य या गवाह प्रस्तुत करना चाहते हैं या नहीं? वाद में तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु गवाही संबंधित साक्ष्य इत्यादि की आवश्यकता है। दिनांक 07.12.2023 से 18.02.2025 तक कुल 9 (नौ) तिथियों पर उभय पक्ष लगातार अनुपस्थित है जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्ष को वाद में कोई रूचि शेष नही रह गई है। किसी तरह के विवाद या तनाव की भी कोई सूचना प्राप्त नही है। अत: द0प्र0सं0 की धारा 145 की कार्यवाई बिना कोई अंतिम आदेश के समाप्त की जाती है तथा द0प्र0सं0 की धारा 146(i) के तहत निर्गत जब्ती आदेश को भी विलोपित (revoke) किया जाता है।

उभय पक्ष तथा थाना प्रभारी सरिया को उक्त आदेश की प्रति भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

18/2/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

18/2/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.03.03 17:15:18 +05:30
Location: 192.168.1.3